The Rajghat Samadhi Act, 1951

(Act No. 41 of 1951)

राजघाट समाधि अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 41)

राजघाट समाधि अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 41)

[29 जून, 1951]

दिल्ली में राजघाट समाधि के प्रबन्ध और नियंत्रण
का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में,—

(क) "समिति" से इस अधिनियम के अधीन गठित राजघाट समाधि समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "समाधि" से दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर राजघाट में महात्मा गांधी के श्रद्धास्वरूप बनाई गई संरचना अभिप्रेत है और अनुसूची में वर्णित परिसर तथा उस परिसर में बने भवन, उन परिवर्धनों या परिवर्तनों सहित, जो उनमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किए जाएं, इसके अन्तर्गत हैं ।

3. **राजघाट समाधि समिति**—(1) समाधि का प्रबन्ध और नियंत्रण, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से गठित समिति में निहित होगा ।

(2) उक्त समिति "राजघाट समाधि समिति" के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और अपने अध्यक्ष के माध्यम् से उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

4. **समिति का गठन**—(1) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) दिल्ली नगर निगम का महापौर, पदेन;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन शासकीय व्यक्ति ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित चार अशासकीय व्यक्ति ;

(घ) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी और यदि इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वह उपधारा (1) के अर्थ में समिति का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) समिति के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सब व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी जब वह उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिससे कि वह निर्वाचित किया गया था ।

[1][(5) यह घोषित किया जाता है कि समिति के सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने के लिए, या होने के लिए, निरर्हित नहीं होगा ।] ।

5. **समिति की शक्तियां और उसके कर्तव्य**—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, समिति की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :—

(क) समाधि के कामकाज का प्रबन्ध करना और समाधि को अच्छी हालत में रखना और उसकी मरम्मत कराना;

---

1. 1988 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा (18-5-1988 से) अंत:स्थापित ।